संख्या-189/2025/1895/सैंतीस-2-2025/001-1(49)/2017टीसी

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 05 दिसम्बर, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-318/प.-2/17(13)/2025-26, दिनांक-21.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-26-गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमेन के उपयोग की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-793.64 लाख (रूपये सात करोड़ तिरान्नवे लाख चौंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगीः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	777.85
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.79
योग-	**793.64**

(रूपये सात करोड़ तिरान्नवे लाख चौंसठ हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स/मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को योजना की गाइडलाईन्स/वित्त विभाग के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप राजकोष में जमा करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(5) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन/हस्तान्तरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

(7) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(10) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 7,77,85,000 (रुपये सात करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001022600 गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमेन के उपयोग की योजना (रा0 यो0) **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति (*2*) रुपये 15,79,000 (रुपये पन्द्रह लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001022600 गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमेन के उपयोग की योजना (रा0 यो0) **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-189/2025/1895(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(49)/2017टीसी, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।